

झारखण्ड सरकार, पर्यटन विभाग

अधि सूच ना

रांची, दिनांक- 20 दिसम्बर, 2001

संख्या- 34/ पर्यटन- 2001/ प0 537 चूंकि राज्य में पर्यटन के विकास हु उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पर्यटन को "उद्योग" के रूप में घोषित किया जाय गाम में मार्गी महत्तामें मा दिया गरी गा माप न नपटन का ठवान का पणा विषा है, इसालय झारखण्ड सरकार यह घाषणा करती ह कि :-

- 1- झारखण्ड राज्य में पर्यटन को उद्योग माना जायेगा ।
- 2- पर्यटन विकास के कार्यक्रम में लगे सभी प्रतिष्ठान एवं स्थापना उन निम्नलिखित रियायतों और प्रोत्साहनों को प्राप्त करने को सक्षम हो सकेगें जो रियायते इत्यादि • उद्योगों में मुहैया कराई जाती है।

पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध रियायतें :-

- क) फीजिविलिटी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये सहायता (सबसीडी) ।
- ख) पूंजी निवेश (इन्वेस्टमेंट) में सहायता (सबसीडी) ।
- ग) स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिलाने. में प्रोत्साहन ।
- घ) राज्य वित्तीय संस्थानों से ऋण राशि सुलभ कराना ।
- ड.) विद्युत एवं पानी की दरों में रियायत ।
- च) भूमि के आवंटन में सुविधाएँ
- छ) जेनरेटिंग सेट पर सहायता (सबसीडी)
- ज) उद्योगों को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधऐ ।
- 3- सभी प्रकार की सहायता (सबसीडी) के लिये मुख्य शीर्ष -3452- पर्यटन कं अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष खोला जायेगा ।



O SE All 08-88



4- उपर्युक्त सुविधाओं के लिये पर्यटन व्यवसाय में संलग्न निम्नलिखित इकाईयां हकदार हो सकेगी :-

- क) क्लासीफाईड होटेल (वर्गीकृत होटल) (1 से 5 स्टार)
- ख) राज्य सरकार भिगारत सरकार द्वारा निर्धारित विशेषताओं के अनुरूप एवं मान्यता प्राप्त मोटल, रेस्तरॉ, वे साइड फेसिलिटिज ।
- ग) भारत सरकार के वर्गीकरण समिति द्वारा मान्यता प्राप्त रेस्तराँ।
- घ) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मनोरंजन केन्द्र, पार्क, विश्राम स्थल आदि ।
- ड.) पर्यटन केन्द्र पर स्थित आकाशीय रज्जू मार्ग (रोप-वे) ।
 - च) राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टूर अपरेटर द्वारा क्रय
- छ) पर्यटन केन्द्रों में क्योस्क का निर्माण ।
- ज) पयटन विकास के ।लय सार्फगर स्कार स्वाहित्य पूर्वित प्राचन रहि. को बढ़ावा देने वाले अन्य कार्य-कलापों में प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें ।
- झ) भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हस्तकला इम्पोरियम ।
- 5- (क) उक्त सुविधाएँ उन्हीं इकाईयों को उपलब्ध हो सकेंगी, जो अधिसूचना की तिथि को या उसके बाद से कार्यरत हों।
 - ख) वैसी संस्थाओं जो राज्य सरकार के किसी दूसरे विभाग से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त कर रही हों वे इस योजना के अन्तर्गत रियायतों की हकदार नहीं होगी।

6- इस योजना के अन्तर्गत सुविधाओं के लिये प्राप्त आवेदन- पत्रों पर विचार कर उन आवेदकों की उपयुक्तता, उन्हें दी जानेवाली रियायतों की मात्रा एवं अन्य सुविधाओं पर निर्णय लेने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारियों की समिति गठित की जाती है :-

क) सचिव, पर्यटन विभाग

अध्यक्ष

ख) उप सचिव, पर्यटन विभाग

सदस्य

ग) निदेशक, पर्यटन विभाग

संयोजक


घ) सचिव, उद्योग विभाग

सदस्य

सदस्य

च) सचिव, युवा कल्याण, क्रीडा एवं संस्कृति विभाग

भूमि आवंटन, विद्युत पानी आदि के मामलों पर विचार करने के लिये सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित किया जायेगा ।



7- इस योजना के अन्तर्गत सुविधाओं के लिये सरकार द्वारा यथा विहित आवेदन पत्र/ प्रपत्र में आवेदन- पत्र उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेगे तथा समिति उन आवेदनों पर समुचित विचार के उपरान्त राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगी तथा राज्य सरकार इस बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेगी कि कंडिका- 4 में वर्णित सभी या किसी ' इकाई को तथा वैसी इकाईयाँ जिनका उल्लेख कंडिका- 4 में नहीं किया गया है, को भी इस योजनान्तर्गत रियायतें एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाय यदि वे पर्यटन के विकास में सीधे रूप से संलग्न हैं।

> झारखण्ड राज्यपाल के आदेश सं मुख्य सचिव

बाद संख्या- 537 राँची, दिनांक- 20-12-2001. ष्ट्रिलिषि—सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पे चित ।

सरकार के उम सचिव

ज्ञाप संख्या- 537

राँची, दिनांक- 20-12-2001

षृतिलिपि- सभी सचिव, झारखंड सरकार को सूचनार्थ दे छित ।

१ स्वनेश्वर ओझां १ सरकार के उप सचिव

इाप संख्या- 537

राँची, दिनांक- 20-12-2001

प्रतिलिपि-अधीक्ष, सचिवालय प्रेस राँची को आगामी गजट में प्रकाशन हेतु षे जित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 100 सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

१ स्वनेश्वर औद्गा सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 537

राँची, दिनांक- 20-12-2001

प्रतिलिपि- सुख्यमंत्री के प्रधान सिवद/ मंत्री, पर्यटन विभाग, झा० राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ ग्रेषित ।